न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 53 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :– 270/18

वादी

कुम्भाराम पुत्र रावतराम , जाति मेघवाल, निवासी ननेऊ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर (राज)

बनाम

प्रतिवादीगण

01 . मोहनराम पुत्र कानाराम
02 . सुखराम पुत्र कानाराम
03 . अशोक पुत्र कानाराम
04 . राधा पुत्री कानाराम
05 . मिरगा पुत्री कानाराम
06 . हीरा पुत्री कानाराम
07 . ऐलची पुत्री कानाराम
08 गोमती पत्नी कानाराम
सभी जाति मेघवाल, निवासी भीयासर तहसील फलोदी, जिला जोधपुर (राज)
09 . श्रीमान् तहसीलदार, फलोदी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई।
2. प्रतिवादीगण की ओर से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

दिनांक :- 8/8/19

वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 8 के पति कानाराम के नाम की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की पुश्तैनी पैतृक भूमि वाके ग्राम भीयासर पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 1414 रकबा 21.11 बीघा किस्म बी -4 की भूमि आई हुई है । उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादी का 3/4 हिस्सा अर्थात 16 बीघा 03 बिस्वा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 8 के पति कानाराम का 1 / 3 हिस्सा अर्थात 5 बीघा 08 बिस्वा भूमि बंट में आती है । वादी का अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा इसी अनुसार ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 8 के पति कानाराम का अपने जीवन काल तक कब्जा काश्त रहा तथा उसकी मृत्यु के उपरांत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का इसी अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अपने अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि में प्रति वर्ष वर्षा के मौसम में काश्त करते एवं अवरते आ रहे है । वादी को उक्त वादग्रस्त खसरा के पूर्व खातेदार से आज से करीब 3 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्टर्ड विकर पत्र के खरीद किया हुआ है तथा पूर्व खातेदार में उक्त वादग्रस्त खसरा की वादग्रस्त में अपने बंट एसं हिस्सा एवं कब्जा काश्त भूमि का उसी दिन वादी को

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था । वादी ने अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि में मेहनत मजूरी कर उक्त भूमि को समतल बना कर उसमें खाद बीज वगैरा डाल कर उपजाऊ बनाया हुआ है तथा प्रतिवर्ष वर्षात के मौसम में काश्त करता एवं अवेरता आ रहा है तथा प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग करता आ रहा है । जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही की है । वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 मध्य आपसी सहमति से पूर्व में मौखिक बंटवाडा होया हुआ है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नवशा में मार्क ए.बी.सी.डी. हिस्सा अनुसार भूमि वादी के बंट में रखी गई तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 इसी अनुसार ही काबिज चले आ रहे है तथा काश्त करते एंव अवेरते आ रहे है ।

कि 30.06.2018 को ग्राम भीयासर पटवार हल्का भीयासर तहसील फलौदी के खेत खसरा न. 1414 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य उक्त भूमि का इनके मध्य विभाजन होया हुआ नहीं होने से बाई मिट्स एंड बाउण्डस् में विभाजन कि प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी एवं तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन में दो प्रतियों में अलग अलग कलर दर्शाते हुए पेश करने का आदेश जारी किया गया।

तहसीलदार फलौदी द्वारा माफिक आदेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश होने पर शाामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण कि बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने बहस में बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 ग्राम भीयासर पटवार हल्का भीयासर तहसील फलौदी के खेत खसरा न. 1414 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य उक्त भूमि का वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कि जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी मय पटवारी द्वारा मौके पर जाकर मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़े का प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया इसी अनुसार हमारा हक हिस्सा है तथा मौके पर कब्जा काश्त है अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया कि बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे

हमने पत्रावली, दस्तावेजात व बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया व अधिवक्ता कि बहस पर मनन किया न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.06.2018 को बंटवाड़े का यह वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कि गई इसी अनुसार तहसीलदार लोहावट द्वारा मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य होने से वाद वादी का स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम भीयासर पटवार हल्का भीयासर तहसील फलौदी के खेत खसरा न. 1414 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा भूमि का का बंटवाड़ा निम्न प्रकार से खातेदारों के मध्य किया जाता है :—

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलौदी

Scanned by CamScanner

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा न.	रकबा	किस्म
1.	वादी कुम्भाराम पुत्र रावतराम , निवासी ननेऊ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर(राज)	1414	16.03	बा–IV
2.	प्रतिवादीगण सं. 01 से 08 मोहनराम, सुखराम, अशोक पुत्र कानाराम राधा, गिरगा, हीरा, ऐलची पुत्री कानाराम गोमती पत्नी कानाराम सभी जाति मेघवाल, निवासी भीयासर तहसील फलोदी , जिला जोधपुर	1414	5.08	बा–IV

तहसीलदार फलौदी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......9/8/19.........को सरे इजलास में सुनाया गया।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी

Scanned by CamScanner